

कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर

(धारा-59 अनुभाग)

उत्तर प्रदेश

लखनऊ :: दिनांक : 07 जुलाई, 2014

आदेश धारा-31 के अन्तर्गत

श्री पवन कुमार मित्तल पुत्र श्री अमरनाथ मित्तल 1209 , छपरौला , तहसील दादरी , गौतमबुद्धनगर द्वारा उ०प्र० मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 की धारा-31 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 07-02-2014 प्रस्तुत किया गया है जो दिनांक 14-2-2014 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है । इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से, धारा-59 के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या-89/2011 दिनांक 27.09.2011 के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन कमिशनर, वाणिज्य कर उ०प्र० द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09-12-2011 को संशोधित किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

व्यापारी द्वारा अपने उपर्युक्त प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि व्यापार कर का नाम ही परिवर्तित करके वाणिज्य कर रखने के कारण वाणिज्य कर वैट (यू०पी०) की अनुसूची-1 की करमुक्त वस्तुओं में नं०-44 पर Religious Picture not for use as Calendar अर्थात् कलेण्डर के रूप में नहीं आने वाली धार्मिक तस्वीर ही दर्ज होने के कारण उनके द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र सं०-89/2011 प्रस्तुत किया गया था । इस संबंध में कमिशनर वाणिज्य कर द्वारा आदेश दिनांक 9-12-2011 पारित कर दिया गया जो संदर्भित बिन्दु पर माननीय सदस्य व्यापार कर अधिकरण के पूर्व पारित आदेश दिनांक 23-2-95 तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-8-99 के विपरीत था । इसके संबंध में दिए गए धारा-31 के प्रार्थना पत्र दिनांक 20-6-2013 को भी आदेश दिनांक 19-7-2013 द्वारा एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, उ०प्र० द्वारा यह उल्लेख करते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि आदेश दिनांक 9-12-2011 में प्रत्यक्ष कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं होती है , जबकि व्यापार अधिनियम की धारा-4 में निर्गत विज्ञप्ति सं०ST-II-7038 / X-7(23) / 83-U.P. Act 15/48-Order-85 दि०31-1-1985 के परिप्रेक्ष्य में Religious Picture on Tiles अर्थात् धार्मिक तस्वीरों की टाइल्स की करमुक्ति व्यापार जगत में विवादित होने के कारण व्यापार कर अधिनियम की धारा-35 के अन्तर्गत व्यापार कर अधिकरण की फुल बैच लखनऊ द्वारा अपील सं०-60 सन् 1994 निर्णीत दिनांक 23-2-95 में धार्मिक तस्वीरों की करमुक्ति हेतु स्पष्ट आदेश विधि अनुसार पारित हुआ था । माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद (बैच लखनऊ) द्वारा भी सदस्य व्यापार कर अधिकरण द्वारा धारा-35 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 23-2-95 के विरुद्ध दायर व्यापार कर रिवीजन सं०-29 सन् 1995 में पारित आदेश दिनांक 12-8-1999 द्वारा भी पूर्ण न्यायसंगत निर्णय पारित किया गया था । इन आदेशों के परिप्रेक्ष्य में धार्मिक तस्वीरों की टाइल्स को धार्मिक तस्वीर ही मानते हुए कर निर्धारण वर्ष 2007-08 (31-12-2007 तक) करमुक्ति भी पारित करनिर्धारण आदेशों द्वारा प्राप्त हुयी थी । धारा-59 के अन्तर्गत अग्रेतर पारित आदेश

दिनांक 09-12-2011, माननीय न्यायालयों के पूर्व पारित उक्त वर्णित आदेश दिनांक 23-2-1995 तथा 12-8-1999 के विपरीत होने के कारण संशोधन होग्य होने का उल्लेख करते हुए व्यापारी का कथन है कि उक्त निर्णयों की बाध्यता के कारण भी ऐसा किया जाना आवश्यक है। यह भी अनुरोध किया गया है कि वाणिज्य कर में भी वैट (यू0पी0) की अनुसूची-1 के क्रमांक पर Religious Picture not for use as calendar के संबंध में भी धार्मिक तस्वीर युक्त टाइल्स के संदर्भ में पूर्व की तरह ही करमुक्ति के आदेश पारित किए जायें।

तथ्यों की जाँच की गयी तथा वस्तुस्थिति का परिशीलन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में निर्णय लिए जाने के पूर्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के निम्न निर्णयों का परिशीलन करना उचित होगा।

(1) In **Karam Chand Thapar & Brothers (Coal Sales) Ltd. Vs. State of U.P. and Another 1976 STI 143 (S.C.)** Hon'ble Supreme Court has held that " There is no dispute that an apparent error means an error which one could point out without any elaborate argument . We are of the view that the order of assessment Dt. March 27 , 1971 was apparently erroneous that it failed to take into consideration the proviso to section 9(2) of CST Act hence such mistake is rectifiable . "

(2) In **U.P. Khandsari Works vs. C.S.T. 1993 STI 494 (All. H.C.)** it was held that –"the learned Tribunal rejected the dealer's application observing that this Court's judgment in M/S Banila Industries was pronounced on 31-7-1992 while the Tribunal's order was passed on 1-8-92 and therefore , the said judgment did not come to the knowledge of the Tribunal when it disposed of the assessee's appeal . This reasoning of the Tribunal is not tenable because *once this court declared the law it cannot be said that became the law only on the pronouncement of the judgment of this Court . That would be deemed to have always been law* . This is established principle of law and therefore , the Tribunal cannot plead its ignorance for rejecting the dealer's application . "

(3) In **Kumaun Diesels vs. Commissioner Sales Tax 1991 UPTC 734** it has been held that – " The expression "any mistake in its order apparent on the record " used in Section 22 of the Act *includes both error of fact or an error of law* . It contemplates all errors or mistakes discoverable from the perusal of evidence in the cases . A mistake which is plainly inconsistent and can be granted from the records of the case as it stands ,without requiring any other evidence which is extraneous to the record , for being shown to be a mistake , is a mistake "apparent on the record " which can be corrected under Section 22 of the Act . "

(4) In **M/S Rita Ice Cream , Gorakhpur vs. Commissioner of Sales tax , U.P. Lucknow 2004 NTN (Vol.24) 383** it has been held " It is settled principle of law that on the basis of later decision of High Court and Apex Court , mistake can be rectified under Section 22 . This view has been taken by Hon'ble Supreme Court in the case of Karam Chand Thapar and Brothers vs. State of U.P. reported in 1976 UPTC 671 . "

(5) In **Hotel Clark Shiraz vs. Commissioner of Sales tax 1992 UPTC 986** Hon'ble Allahabad High Court has held that- "A division Bench of this Court in Ram Singh and Sons Engineering Works vs. State of U.P. 1977 UPTC 74 has held that if subsequent to an order of Sales Tax Officer the High Court gives a ruling which is

contrary to the view taken by the Sales Tax Officer then this is a mistake apparent on the face of the record and hence an application under Section 22 would be maintainable."

(6) In **Commissioner of Trade Tax vs. Kaushal Kumar ,Bijnor , 2006 NTN (Vol. 30) 12** the Tribunal had deleted the tax levied under Section 3-AAAA on the purchase of coal from unregistered dealers because the provisions of Section 3-AAAA had been declared ultra vires in the case of *Pioneer Tanneries and Glue Works v. State of Uttar Pradesh*, 1991 UPTC 585. The department filed an application under Section 22 on the basis of that the provisions of Section 3-AAAA had been reinserted in the statute from as retrospective date.

To a question whether Tribunal can rectify its order on the basis of subsequent ruling of the Supreme Court or on the basis of substitution of law from a retrospective date? It was held by the Allahabad High Court – "Once Section 3-AAAA of the Act has been introduced with effect from 1.4.1974 in the statute by the Act No. 28 of 1991 and the decision of this Court in the case of *Pioneer Tanneries and Glue Works v. State of Uttar Pradesh*, 1991 UPTC 585 has been overruled by the Apex Court in the case of *Hotel Balaji and others v. State of Andhra Pradesh*, the order of the Tribunal deleting the tax under section 3-AAAA of the Act on the basis of the decision in the case of *Pioneer Tanneries and Glue Works v. State of Uttar Pradesh*, 1991 UPTC 585 is rectifiable under section 22 of the Act.

Hence the order of the Tribunal dismissing the application of the department filed under section 22 is set aside."

2- उक्त परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेख करना उचित होगा कि उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा-22 में निम्न प्राविधान थे -

"Section 22. Rectification of mistakes.

(1) Any officer or authority, or the Tribunal or the High Court may on its own motion or on the application of the dealer or any other interested person rectify any mistake in any order passed by him or it under this Act, apparent on the record, within three years from the date of the order sought to be rectified;

Provided that where an application under this sub-section has been made within such period of three years, it may be disposed of even beyond such period;

Provided further that no such rectification as has the effect of enhancing the assessment, penalty, fees or other dues, shall be made unless reasonable opportunity of being heard has been given to the dealer or other person likely to be affected by such enhancement.

(2) Where such rectification has the effect of enhancing the assessment, the assessing authority concerned shall serve on the dealer a revised notice of demand in the prescribed form and there-from all the provisions of the Act and the Rules framed there-under shall apply, as if such notice has been served in the first instance. "

3- उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-31 के अन्तर्गत निम्न प्राविधान हैं -

"31. Rectification of mistakes

(1) Any officer, authority, the Tribunal or the High Court may on its own motion or on the application of the dealer or any other interested person rectify any mistake

apparent on the face of record, in any order passed by him under this Act, within three years from the date of the order sought to be rectified:

Provided that where an application under this sub-section has been made within such period of three years, it may be disposed of even beyond such period:

Provided further that no rectification which has the effect of enhancing the assessment, penalty, fees or other dues, shall be made unless reasonable opportunity of being heard has been given to the dealer or other person likely to be affected by such enhancement.

(2) Where such rectification has the effect of enhancing the assessment, the assessing authority shall serve on the dealer a revised notice of demand in the prescribed form and therefrom all the provisions of this Act shall apply as if such notice had been served in the first instance. "

उक्त से स्पष्ट है कि है कि 30प्र0 व्यापार कर अधिनियम , 1948 की धारा-22 के सुसंगत ही प्राविधान 30प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 की धारा-31 में प्रख्यापित है। अतः 30प्र0 व्यापार कर अधिनियम , 1948 की धारा-22 के संबंध में माननीय न्यायालयों के उपर्युक्त निर्णय 30प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा-31 के संबंध में भी उसी प्रकार लागू होते हैं।

4- उपर्युक्त प्राविधानों में "Any officer, authority, the Tribunal or the High Court may on its own motion or on the application of the dealer or any other interested person rectify...." शब्दों का उल्लेख किया गया है , जिससे स्पष्ट है कि कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा 30प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत पारित आदेश को भी इस अधिनियम की धारा-31 के प्राविधानों के अन्तर्गत संशोधित किया जा सकता है।

5- माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों से निम्न विधिक स्थिति स्पष्ट होती है -

(1) 30प्र0 व्यापार कर अधिनियम , 1948 की धारा-22 या 30प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 की धारा-31 के अन्तर्गत अभिलेख पर स्वतः स्पष्ट विधिक या तथ्यात्मक दोनों ही प्रकार की त्रुटियाँ (mistake of law or mistake of facts apparent on the face of record) संशोधित की जा सकती हैं।

(2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Karem Chand and Brothers vs. State of U.P. 1976 UPTC 671 के वाद में पारित आदेश Law of the land होने के कारण आज भी उसी Force से लागू है। इस आदेश द्वारा निर्गत निर्णय से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर 30प्र0 व्यापार कर अधिनियम , 1948 की धारा-22 या 30प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 की धारा-31 के अन्तर्गत संशोधन किया जा सकता है और इन निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में प्रकाश में आयी विसंगति उपर्युक्त धाराओं में प्रदत्त "mistake apparent on the face of record" की श्रेणी में आती है।

(3) माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश (जब तक कि उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा set-aside न किया गया हो) विधि (Law) बन जाता है , इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है कि ऐसा आदेश Lower Authorities द्वारा पारित निर्णय के पूर्व निर्गत है अथवा

बाद में निर्गत है और ऐसे आदेश के विपरीत पारित निर्णय "mistake apparent on the face of record" की परिधि में आ जाता है।

6- जहां तक प्रश्नगत प्रकरण का संबंध है, तत्कालीन कमिशनर वाणिज्य कर द्वारा धारा-59 के पारित आदेश दिनांक 9-12-2011 में निम्न निर्णय प्रतिपादित किया गया -

"... धार्मिक तस्वीरयुक्त टाइल्स की खरीद व बिक्री केवल टाइल्स के व्यापारी द्वारा ही की जाती है तथा जन साधारण द्वारा भी कागज में छपी तस्वीर को ही धार्मिक तस्वीर माना जाता है। अतः उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1 की प्रविष्टि संख्या-44 के अन्तर्गत धार्मिक तस्वीर के टाइल्स नहीं आते हैं तथा ऐसे धार्मिक तस्वीरयुक्त टाइल्स पर टाइल्स की ही भाँति करदेयता बनती है तथा प्रदेश के बाहर से धार्मिक तस्वीरयुक्त टाइल्स को आयात करने के लिए तदनुसार फार्म-38 की अनिवार्यता बनी रहेगी।"

7- उपर्युक्त आदेश दिनांक 9-12-2011 को पारित करते समय तत्कालीन कमिशनर वाणिज्य कर द्वारा तत्समय उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम, 1948 की समानान्तर धारा-35 के अन्तर्गत इसी बिन्दु पर तत्कालीन कमिशनर व्यापार कर के पारित निर्णय दिनांक 10-6-1994 के विरुद्ध माननीय सदस्य अधिकरण के पारित निर्णय दिनांक 23-2-1995 तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12-8-199 का विचारण नहीं किया गया है।

8- ज्ञातव्य है कि माननीय सदस्य अधिकरण द्वारा एडीशनल कमिशनर (विधि) व्यापार कर उ0प्र0 द्वारा धारा-35 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 10-6-1994 के विरुद्ध दायर द्वितीय अपील सं0 60/94 धारा-35 के अन्तर्गत माननीय सदस्य व्यापार कर अधिकरण की फुल बैच द्वारा आदेश दिनांक 23-2-1995 द्वारा शासकीय विज्ञप्ति सं0 ST-II-7038/X-7(23)/83-UPActXV/48-Order-85 दिनांक 31-1-1985 7

"The appeal is allowed. The impugned order is set aside. It is held that the Religious Pictures produced on tiles and sold by the appellant are not liable to trade tax. The question is accordingly answered."

9- इसी परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा दायर किए गए पुनरीक्षण सं0 29 आफ 1995 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया -

"Perused the impugned order passed by the Tribunal. In my opinion there is no illegality in the impugned order. The revision is devoid of merit. It is accordingly dismissed."

अतः तत्कालीन कमिशनर वाणिज्य कर द्वारा आदेश दिनांक 9-12-2011 द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत पारित उक्त निर्णय उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-31 के प्राविधानों के अन्तर्गत "mistake apparent on the face of record" की श्रेणी में आता है तथा इस धारा के प्राविधानों के सुसंगत संशोधन योग्य है।

10- यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत शासकीय विज्ञप्ति सं0 ST-II-7038/X-7(23)/83-UPActXV/48-Order-85 दिनांक 31-1-1985 के अन्तर्गत religious pictures को इस विज्ञप्ति के क्रमांक-45 पर निम्नानुसार प्रख्यापित करते हुए करमुक्ति अनुमन्य की गयी थी -

"45- *religious pictures*"

11- 30प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 के करमुक्त वस्तुओं के Schedule-I में उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न प्रविष्टि सं0-44 प्रख्यापित है -

"44- Kirpan , *religious pictures not for use as calendar* . "

इस प्रकार religious pictures युक्त टाइल्स के परिप्रेक्ष्य में 30प्र0 व्यापार कर अधिनियम, 1948 तथा 30प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 की प्रविष्टियों में भी कोई अन्तर नहीं है ।

अतः समस्त तथ्यों पर विचार करते हुए स्पष्ट है कि तत्कालीन कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 9-12-2011 द्वारा निर्गत निर्णय कि-"उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 की अनुसूची-1 की प्रविष्टि संख्या-44 के अन्तर्गत धार्मिक तस्वीर के टाइल्स नहीं आते हैं तथा ऐसे धार्मिक तस्वीरयुक्त टाइल्स पर टाइल्स की ही भाँति करदेयता बनती है तथा प्रदेश के बाहर से धार्मिक तस्वीरयुक्त टाइल्स को आयात करने के लिए तदनुसार फार्म-38 की अनिवार्यता बनी रहेगी ।" की त्रुटि माननीय सदस्य व्यापार अधिकरण के अपर्युक्त वर्णित आदेश दिनांक 23-2-1995 तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12-8-1999 के आलोक में अभिलेख पर स्वतः स्पष्ट है तथा धारा-31 के अन्तर्गत संशोधन योग्य है ।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत व्यापारी द्वारा अग्रेतर प्रस्तुत धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र सं0-68/12 दिनांक 17-01-2012 के परिप्रेक्ष्य में आदेश दिनांक 14-03-2014 मूलतः संगत प्रार्थना पत्र की ग्राह्यता के बिन्दु पर निर्णीत है । अतः इसमें अन्तर्निहित बिन्दु के विधिक परिदृश्य का विचारण नहीं हुआ है । इस कारण इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अन्य कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं रह जाती है ।

समस्त तथ्यों के विचारगत धारा-59 के उपर्युक्त निर्णय दिनांक 09-12-2011 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12-8-1999 का समादर करते हुए यह निर्णय निर्गत किया जाता है कि religious pictures युक्त टाइल्स भी religious pictures की श्रेणी में आयेंगी तथा 30प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 के Schedule-I की प्रविष्टि सं0-44 में समाहित होने के कारण इन पर कोई करदेयता नहीं होगी ।

आदेश की प्रति संबंधित प्रार्थी को प्रेषित की जाए ।

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश